



F.No.35 - 5 / 2017 - TS.III

Government of India Ministry of Human Resource Development Department of Higher Education *_*_*_*

> Shastri Bhawan, New Delhi, dated, the 28th July, 2017

To

The Director, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, West Bengal - 711103.

Amendments in the Statute of Indian Institute of Engineering Subject:-Science and Technology, Shibpur (West Bengal) - regarding.

Sir \ Madam,

I am directed to refer to this Ministry's communication F.No.33-10/2014-TS.III dated 7th April, 2017 and to forward herewith a copy of the Notification bearing G.S.R. 948 (E) dated 21st July, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i) on 24th July, 2017 to notify further amendments in the Statutes of the Indian Institute of Engineering Science and Technology (IIEST), Shibpur (West Bengal).

As per provisions of the Notification, the amendments shall come into 2. force on the date of their publication in the Official Gazette. It is, therefore, requested to kindly adopt the Indian Institute of Engineering Science and Technology (Amendment) Statute, 2017 for implementation.

Yours faithfully,

[A.K. Singh]

Under Secretary to the Government of India

Tel: 23384897 Fax: 23384345

Encl.: as above.

Regular peau (Adm)

Please pul in the form

Prease pul in the form

Prease propries



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] No. 652] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2017/श्रावण 2, 1939 NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2017/SRAVANA 2, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 948(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर परिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर (संशोधन) परिनियम, 2017 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर परिनियम, 2017 के परिनियम में,—
 - (1) संक्षिप्त नाम में "का परिनियम" शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (2) परिनियम 17 के उप परिनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :--
 - "(1) संस्थान के निदेशक की संविदा पर नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा कम से कम पांच सदस्यों से मिलकर बनने वाली खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। परिषद् का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होगा और उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका प्रतिनिधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले तीन अन्य विशेषज्ञों के अतिरिक्त उसका एक सदस्य होगा।"।
 - (3) परिनियम 23 के उप परिनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(5) सीधी भर्ती द्वारा यह संस्थान के कर्मचारिवृंद के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा संस्थान के अधीन पदों (संविदा के आधार पर पदों से भिन्न) को भरने के लिए चयन समिति का गठन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

4485 GI/2017

(क) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तें

वे होंगी, जो अनुसूची 'ङ' में विनिर्दिष्ट की जाएंगी और चयन समिति, शैक्षिक कर्मचारिवृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—				
(i)	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष	
(ii)	कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती	-	सदस्य	
(iii)	वोर्ड में दो नामनिर्देशिती, जिनमें से एक वोर्ड के सदस्य मे भिन्न एक विशेषज्ञ होगा	-	मदस्य	
(iv)	संस्थान के बाहर से सीनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने बाला एक विशेषज्ञ	-	मदस्य	
(v)	संबंधित विभाग का अध्यक्ष (उप निदेशक और प्रोफेसर के पद से भिन्न के लिए)	-	मदस्य	
(ख)	तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति नीचे दिए अनुसार	होगी	_	
(i)	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष	
(ii)	संस्थान के बाहर से एक सदस्य	-	मदस्य	
(iii)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती	-	सदस्य	
(iv)	विभाग का संवंधित अध्यक्ष	-	सदस्य	
(v)	रजिस्ट्रार	-	मदस्य	
(ग)	प्रशासनिक और सचिवालीय पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति नीचे दिए अनुसार होगी,—			
(i)	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष	
(ii)	संस्थान के बाहर से एक सदस्य	-	सदस्य	
(iii)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती	-	सदस्य	
(iv)	रजिस्ट्रार	-	मदस्य	
(ঘ)	ज्येष्ठ प्रशासनिक और अन्य तुलनीय पद, जिनका वेतनमान स चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर वनेगी, अर्थात् :—	हायक	प्रोफेसर और उससे ऊपर है, के लिए	
(i)	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष	
(ii)	संस्थान के बाहर से एक विशेपज्ञ	-	सदस्य	
(iii)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती	-	मदस्य	
(iv)	बोर्ड का नामनिर्देशिती	_	सदस्य	

(4) अनुमूची में, अनुमूची 'घ' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुमूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :---

मदस्य

रजिस्ट्रार

(v)

"अनुसूची 'ङ'

[परिनियम 23(5)(क) देखें]

शैक्षिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति के लिए अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तें

क्रम सं.	पदनाम, वेतन बैंड और शैक्षिक ग्रेड वेतन	अनिवार्य अर्हता	अनिवार्य अपेक्षाएं	संचित अनिवार्य क्रेडिट पाइंट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 6,000 रुपए ग्रेड वेतन महित वेतन वैंड – 3	पीएचडी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 7,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन वैंड – 3	पीएचडी	किसी विख्यान संस्थान या उद्योग में पीएचडी पश्च शिक्षा और अनुसंधान का एक वर्ष का अनुभव	10
3.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 8,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन वैंड – 3 में न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव या किसी विख्यात शैक्षिक संस्थान/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या मुसंगत उद्योग में कुल छह वर्ष का शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव	20
4.	एसोमिएट प्रोफेसर, 9,500 रुपए ग्रेड वेतन सहित, न्यूनतम वेतन 42,800 रुपए के माथ वेतन वैंड – 4	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसर के स्तर पर छह वर्ष या कुल 9 वर्ष का कार्य अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात् होना चाहिए, 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ सहायक प्रोफेसर के स्तर पर कम मे कम तीन वर्ष का अनुभव	50
5.	प्रोफेसर 10,500 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन वैंड - 4 में न्यूनतम वेतन 48,000 रुपए	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् 10 वर्ष या 13 वर्ष का कुल अनुभव, जिसमें से 7 वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात् होना चाहिए। जिसमें से 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर कम से कम नीन वर्ष या 9,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर या किसी विख्यात संस्थान या अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या सुसंगत उद्योग में 9000 और 9500 रुपए के संयोजन में चार वर्ष का अनुभव	80
6.	प्रोफेसर (उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान) 67,000-79,000 रुपए	पीएचडी	राष्ट्रीय महत्ता के किसी संस्थान में प्रोफेसर के रूप में 10,000 रुपए या 10,500 रुपए या 10,000 रुपए और 10,500 रुपए के संयोजन में शैक्षिक ग्रेड वेतन के माथ 6 वर्ष का अनुभव	150

टिप्पण 1:

- (1) ग्रेड वेतन में कोई परिवर्तन खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा और सम्यकत: गठित चयन समिति सिवाय वहां जहां विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों द्वारा छूट प्रदान की गई हो, की सिफारिशों पर किया जाएगा।
- (2) मभी नए भर्ती किए गए व्यक्तियों के पास सुसंगत या समतुल्य विषय में पीएचडी होगी और उनके पास पूर्ववर्ती डिग्रियों में प्रथम श्रेणी होगी।
- (3) विद्यमान संकाय के सदस्य, जिन्होंने संस्थान में अपने साधारण शिक्षण भार के साथ या क्वालिटी सुधार कार्यक्रम में पीएचडी पूरी की है, पीएचडी में नामांकन अवधि को शिक्षण अनुभव के लिए गणना में लिया जाएगा ।
- (4) संस्थान प्रशासन में योगदान की संबंधित अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की जाएगी और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा । विभागीय प्रशासन में योगदान की सिफारिश संबंधित अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए और उसका अनुमोदन निदेशक द्वारा किया जाना चाहिए।
- (5) उन विभागों, जिनमें कोई रिक्ति नहीं है, उच्चतर शैक्षिक ग्रेड वेतन या कैडर में संचलन को विनिर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा किंतु यह संबंधित विभागों के सेवारत संकाय सदस्यों तक ही निर्वंधित होगा।
- (6) स्थायी संकाय सदस्य, जिनके पास दस वर्ष से अधिक अनुभव है किंतु जिन्होंने इस अधिसूचना की तारीख को पीएचडी अर्जित नहीं की है, को निम्नलिखित मानकों के अनुसार एकमुश्त उपाय के रूप में चार चरणीय नम्य प्रणाली में रखा जाएगा:
 - क) पचास वर्ष या अधिक आयु के स्थायी संकाय सदस्य:
 - (i) 7,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन महित महायक प्रोफेसरों को 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले सहायक प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम दस क्रेडिट पाइंट हों।
 - (ii) 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसरों को 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम पञ्चीस क्रेडिट पाइंट हों।
 - (iii) 9,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित एसोसिएट प्रोफेसरों को 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम पच्चीस क्रेडिट पाइंट हों :
 - परंतु यह कि वह कानून के अधीन सम्यकत: गठित चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त पाया जाता है।
 - ख) पचास वर्ष से कम आयु के स्थायी संकाय सदस्यों को किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पीएचडी करने के लिए प्रायोजित किया जाएगा, उन्हें संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से तीन वर्ष का अध्ययन अवकाश देने के लिए सम्यकत: संदाय प्रदान किया जाएगा और पीएचडी पूरा करने पर वह नए भर्ती नियमों के अनुसार चार चरणीय प्रणाली में जाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
 - (7) भवन विन्यास विभाग में संकाय के लिए सहायक प्रोफेसर स्तर पर क्रेडिट पाइंटों की आवश्यकता पर वल न देते हुए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता होगी :
 - (i) एक वर्ष के व्यवसायिक अनुभव के साथ एम आर्क या एम प्लान : 6,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन में महायक प्रोफेसर ;
 - (ii) दो वर्ष के व्यवसायिक अनुभव के साथ एम आर्क या एम प्लान : 7,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन में सहायक प्रोफेसर ;
 - (iii) उच्चतर संवर्गों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और क्रेडिट पाइंट आवश्यकता वहीं रहेगी जो इंजीनियरी और विज्ञान के लिए सारणी में दी गई है।

टिप्पण 2 : क्रेडिट पाइंट प्रणाली निम्नलिखित क्रेडिट पाइंट प्रणाली होगी।

क्रम सं.	कार्यकलाप	क्रेडिट पाइंट
1.	एक बाह्य प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजना पूरी की हो या चल रही हो या कोई पेटेंट अनुदत्त किया गया हो	प्रति परियोजना आठ क्रेडिट पाइंट या आविष्कारक के रूप में प्रति पेटेंट आठ क्रेडिट पाइंट (किसी परियोजना में एक से अधिक व्यक्तियों की दशा में, प्रधान अनुसंधानकर्ता को पांच क्रेडिट पाइंट मिलेंगे और शेष को अन्य सदस्यों के वीच वरावर विभाजित कर दिया जाएगा।
2.	परामर्श सेवाएं	10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए, 5 लाख रुपए के परामर्श के लिए दो क्रेडिट पाइंट की दर मे
3.	पूरी की गई पीएचडी (जिसके अंतर्गत शोध जमा करने के मामले हैं)	प्रति पीएचडी विद्यार्थी 8 क्रेडिट पाइंट (एक से अधिक पर्यवेक्षकों की दशा में गाइड (पहला पर्यवेक्षक) प्रति विद्यार्थी 5 क्रेडिट पाइंट लेगा और शेप को अन्य पर्यवेक्षकों के बीच बराबर विभाजित कर दिया जाएगा)।
4.	विज्ञान उद्धरण इंडेक्स या स्कोप्स जर्नल में एक पेपर (संदत्त जर्नल अनुज्ञात नहीं)	अंतिम प्रोन्नति से प्रति पेपर चार पाइंट । प्रथम लेखक या मुख्य पर्यवेक्षक दो पाइंट प्राप्त करेगा और शेप पाइंटों को अन्य के बीच विभाजित कर दिया जाएगा ।
5.	एक संगोष्टी पेपर, जिसे विज्ञान उद्धरण इंडेक्स या स्कोप्स या वेव ऑफ साइंस संगोष्टी या कोई अंतर्राष्ट्रीय विख्यात संगोष्टी	अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति पेपर 1 क्रेडिट पाइंट । प्रथम लेखक या मुख्य पर्यवेक्षक 0.6 पाइंट प्राप्त करेगा और शेष पाइंटों को अन्य के वीच विभाजित कर दिया जाएगा।
6.	विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, मुख्य वार्डन, भारसाधक प्रोफेसर (प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट) सलाहकार (संपदा), मुख्य सर्तकता अधिकारी, पीआई (परीक्षा), टीईक्यूआईपी (समन्वयक)	अंतिम प्रोन्नति में अधिकतम 16 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
7.	वार्डन, सहायक वार्डन, एसोसिएट संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष या संयोजक, संस्थान शैक्षिक समितियां, संकाय प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र या सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाएं या पुस्तकालय या प्रवेश या विद्यार्थी कार्यकलाप और अन्य संस्थानिक कार्यकलाप	अंतिम प्रोन्नति मे अधिकतम 8 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
8.	विभिन्न स्थायी समितियों और विशेष समिति के अध्यक्ष और संयोजक (पदेन स्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा) विभिन्न डकाईयां या समतुल्य के (प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए) संकाय प्रभारी	रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
9.	विभागाध्यक्ष द्वारा पहचान किए गए विभागीय कार्यकलाप जैसे न्यूनतम एक वर्ष की अविध के लिए प्रयोगशाला या विभाग स्तरीय सिमिति के प्रभारी	
10.	कार्यशाला या संकाय विकास कार्यक्रम या न्यूनतम पांच कार्यदिवस की अवधि के लघु अवधि पाठ्यक्रम, जिनका समन्वयक या संयोजक के रूप में प्रस्ताव किया गया है	रहते हुए प्रति पाठ्यक्रम 2 पाइंट
11.	पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में शैक्षिक नेटवर्को आदि की वैश्विक पहल, जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित करने के लिए दो सप्ताह की अवधि के कार्यक्रम एक सप्ताह की अवधि का कार्यक्रम	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 2 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
12.	अध्यक्ष या मचिव के रूप में आयोजित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 3 पाइंट

13.	किसी दिए गए संवर्ग के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुसंगत शिक्षण अनुभव से अधिक सेवा अवधि	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट	
14.	नई प्रयोगशालाओं की स्थापना	अंतिम प्रोन्निन से 4 क्रेडिट पाइंट	
15.	छह क्रेडिट घंटों के पाठ्यक्रम से अधिक सिद्धांत शिक्षण	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट	
16.	स्नातकोत्तर मार्गदर्शित निवंध	अंतिम प्रोचित से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट	
17.	स्नातक परियोजनाएं	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.25 पाइंट	
18.	विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से सुसंगत विषयों पर प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें	अंतिम प्रोच्नति से अधिकतम 18 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 6 पाइंट	
19.	विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से सुसंगत विषयों पर प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें या विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में पुस्तक अध्याय	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट	
20.	महत्वपूर्ण आउटरिच संस्थान बाह्य कार्यकलाप	अंनिम प्रोच्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट	
21.	आईईईई, एफएनए, एफएनएई, एफएनएएससी का फेलो	10 क्रेडिट पाइंट	
22.	प्लेसमेंट प्रतिशत (केवल प्लेसमेंट कक्ष अधिकारियों या प्लेसमेंट के संकाय प्रभारी के लिए)		
44 + A A R R R R	85 प्रतिशत मे अधिक	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 20 क्रेडिट पाईटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 4 पाइंट	
	75 प्रतिशत – 84 प्रतिशत (प्रतिशत उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और एकल जॉव प्रस्ताव पर आधारित होगा)	अंतिम प्रोन्नित से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट	

[सं. एफ. 33-10/2014-टीएस.III]

आर. स्व्रहमनियम, अपर सचिव

टिप्पण: मूल परिनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 293(अ), नारीख 24 मार्च, 2017 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

- G.S.R. 948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the prior approval of the Visitor, the Central Government hereby makes the following Statutes further to amend the Statutes of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur Statutes, 2017, namely:—
- 1. Short title and Commencement.—(1) These Statutes may be called the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (Amendment) Statute, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Statute of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur Statute, 2017, —
- (1) in short title, the words, "the Statute of" shall be omitted;
- (2) in Statute 17, for sub-statute (1), the following shall be substituted, namely:—

- "(1) The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis on the recommendations of a Search-cum-Selection Committee constituted by him consisting of atleast five members, out of which the Chairperson of the Council shall be its Chairperson and the Secretary of the Department of Higher Education or his representative shall be one of its members and three other experts in the field of technical education with experience at national and international level.";
- (3) in Statute 23, for sub-statute (5), the following shall be substituted, namely:—
 - "(5) The Selection Committees for filling up of posts under the Institute (other than on contract basis) by direct recruitment or by promotion from amongst the members of staff of the Institute shall be constituted in the following manner, namely:—
 - (a) The qualification and other terms and conditions of appointment of Academic Staff (excluding Director), or promotion shall be as specified in Schedule 'E' and the Selection Committee for making recommendations for appointment of Academic Staff (excluding Director) shall consist of the following members, namely:—

(i)	Director or Deputy Director	Chairman;
(ii)	Visitor's Nominee	Member;
(iii)	Two nominee of the Board one being an expert, but other than a member of the Board	Member,
(iv)	One expert nominee of Senate from outside the Institute	Member;
(v)	Head of Department concerned (for other than the post of Deputy Director and Professor)	Member.

(b) The Selection Committee for recruitment of Technical posts shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman;
(ii)	One expert from outside the Institute	Member;
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member;
(iv)	Concerned Head of Department	Member;
(v)	Registrar	Member.

(c) The Selection Committee for recruitment of Administrative and Ministerial Staff shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman;
(ii)	One expert from outside the Institute	Member;
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member;
(iv)	Registrar	Member.

(d) The Selection Committee for Senior Administrative and other equivalent post carrying the pay scale of Assistant Professor and above shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman;
(ii)	One expert from outside the Institute	Member;
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member;
(iv)	Nominee of the Board	Member;
(v)	Registrar	Member.";

(4) in the Schedule, after Schedule 'D' and the entries relating thereto, the following Schedule shall be inserted, namely:—

"Schedule 'E'
[See Statute 23 (5) (a)]
Qualification and other terms and conditions of appointment of Academic Staff

Sl.No.	Designation, Pay Band and Academic Grade Pay	Essential Qualification	Essential Requirements	Cumulative Essential Credit Points
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	*Assistant Professor (On contract) Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 6000	Ph.D.	NIL	NIL
2.	*Assistant Professor (On contract) Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 7000	Ph.D.	one year post Ph.D. experience of Teaching and Research in Institution of repute or Industry	10
3.	*Assistant Professor Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 8000 with a minimum pay of Rs. 30000	Ph.D.	three years after Ph.D. or six years total teaching and research experience in reputed academic Institute/ Research and Development Labs or relevant industry.	20
4.	Associate Professor Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 9500 with a minimum pay of Rs. 42800	Ph.D.	six years after Ph.D. of which at least three years at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs. 8000; Or nine years total working experience, of which three years should be after Ph.D., with at least three years at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs. 8000.	50
5.	Professor Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 10500 with minimum pay of Rs. 48000	Ph.D.	ten years after Ph.D. or thirteen years total working experience, out of which seven years should be after Ph.D. At least three years at the level of Associate professor with Academic Grade Pay of Rs. 9500 or four years at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs. 9000 or combination of Rs. 9000 and Rs. 9500 or equivalent in an Institution of repute or Research & Development lab or relevant industry.	
6.	Professor (Higher Administrative Grade Scale) Rs. 67000–79000	Ph.D.	Six years as Professor with Academic Grade Pay of Rs. 10000 or Rs. 10500 or a combination of Rs. 10000 and Rs. 10500 in an Institute of National Importance.	

Note 1:

- (1) Any change in the grade pay will be through open advertisement and on recommendation of duly constituted selection committee, except where specifically exempted in these rules.
- (2) All new entrants shall have Ph.D. in the relevant or equivalent discipline and shall have first class in the preceding degrees.

- (3) For existing faculty members who completed their Ph.D. along-with their normal teaching load of Institute or quality improvement programme, the enrolment period of Ph.D. will be counted as teaching experience.
- (4) Contribution to Institute Administration shall be recommended by concerned Head or Chairman and approved by the Director. Contribution to departmental Administration shall be recommended by concerned Head and approved by the Director.
- (5) For the departments which are not having any vacancy, movement in higher Academic Grade Pay or cadre shall be carried out as per specified selection process but it will be restricted to only for serving faculty members of the respective departments.
- (6) The permanent faculty members who have put in more than ten years experience, but have not acquired Ph.D. qualification as on the date of these notification shall be mapped into four-tier flexible system as one time measure as per following norms:
 - (a) Permanent faculty with age fifty or above:
 - (i) The Assistant Professors with Academic Grade Pay of Rs. 7000 shall be mapped at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs. 8000, provided they have at least 10 credit points in their lifetime.
 - (ii) The Assistant Professors with Academic Grade Pay of Rs. 8000 shall be mapped at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs. 9500, provided they have at least 25 credit points in their lifetime.
 - (iii) The Associate Professors with Academic Grade Pay of Rs. 9000 shall be mapped at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs. 9500, provided they have at least 25 credit points in their lifetime:

Provided, they have been found suitable through a Selection Committee duly constituted under the Statute.

- (b) Permanent faculty members less than fifty years of age shall be sponsored for Ph.D. in any of the Indian Institutes of Technology or National Institutes of Technology duly provided a facility to take study leave of three-years from their respective National Institute of Technology and on completion of the Ph.D., they shall compete to get into the four tier system as per the new recruitment rules.
- (7) For faculty in the department of Architecture following shall be essential qualification without insisting on credit point requirements at Assistant Professor level:
 - M.Arch. or M.Plan. with one year professional experience: Assistant Professor at Academic Grade Pay of Rs. 6000;
 - (ii) M.Arch. or M.Plan. with two years of professional experience: Assistant Professor at Academic Grade Pay of Rs. 7000;
 - (iii) For higher cadres the educational qualifications and credit point requirement shall remain same as given in the table for Engineering and Sciences.

Note 2: Credit Point System

The following shall be the credit point system:

S.No.	Activity	Credits points
l.	One external Sponsored Research and Development Projects completed or ongoing or Patent granted	8 credit points per project or 8 credit points per patent as inventor (in case of more than one person in a Project, the Principal Investigator gets 5 credit points and the rest to the divided equally among other members)
2.	Consultancy projects	2 credit points @ Rs.5 lakhs of consultancy, subject to maximum of 10 Credit points
3.	Ph.D. completed (including thesis submitted cases)	8 credit points per Ph.D. student (in case there are more than one supervisor, then the Guide (1 st Supervisor) gets 5 credit points per student and the rest to be divided equally among other supervisor
4.	One Journal papers in Science Citation Index or Scopus (Paid Journals not allowed)	4 point per paper since the last promotion. First author or Main supervisor will get 2 point and rest will be divided among others.

10	A : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(i)]	
S.No.	Activity	Credits points
5.	One Conference paper indexed in Science Citation Index or Scopus or Web of science Conference or any internationally renowned conference	1 credit points per paper up to a maximum of 10 credit points. First author or Main Supervisor will get 0.6 and rest will be divided among the rest.
6.	Head of the Department, Dean, Chief Warden, Professor Incharge (Training and Placement), Advisor (Estate), Chief Vigilance Officer, Pl (Exam), TEQIP (Coordinator)	2 points per semester up to a max of 16 credits points since the last promotion.
7.	Warden, Assistant wardens, Associate Dean, Chairman or Convener institute academic committees, Faculty In charge Computer Center or Information and Technology Services or Library or Admission or student activities and other Institutional activities	I credit point per semester up to a maximum of 8 credits points since the last promotion.
8.	Chairman and Convener of different standing committee and special committee (Ex officio status will not be considered). Faculty incharges (Each for one year duration) of different Units or equivalent	0.5 credit point per Semesters up to a maximum of 3 credits points since the last promotion.
9.	Departmental activities identified by Head of the Department like lab in charges, or department level committee for a minimum period of one year.	0.5 credit point per Semesters up to a maximum of 3 credits points since the last promotion.
10.	Workshop or Faculty Development Program or short term courses of min 05 working days duration offered as coordinator or convener	2 credit points per course up to a maximum of 8 credits points since the last promotion.
11.	For conducting national programs like Global Initiative of Academic Networks etc. as course coordinator	2 credit points per course up to a maximum of 4 credit
	Program of two weeks duration	points since the last promotion.
	Program of one week duration	I credit point per course up to a maximum of 2 credit points since the last promotion.
12.	National or International conference organized as Chairman or Secretary	3 credit points per program up a maximum of 6 credits points since the last promotion.
13.	Length of service over and above the relevant minimum teaching experience required for a given cadre	2 credit points per semester with maximum of 10 credit points since the last promotion.
14.	Establishment of New Lab(s)	4 credit points since the last promotion.
15.	Theory Teaching of over and above 6 credit hrs. course	I credit point or credit hrs. up to a maximum of 6 credit points since the last promotion.
16.	Post Graduate Dissertation guided	0.5 credit point per project to a maximum of 10 points since the last promotion.
17.	Under Graduate Projects	0.25 credit point per project up to a maximum of 4 points since the last promotion.

S.No.	Activity	Credits points
18.	Text or Reference Books published on relevant subjects from reputed international publishers	6 credit points per book up to a maximum of 18 points since the last promotion.
19.	Text or Reference book published on relevant subjects from reputed national publishers or book chapters in the books published by reputed international publishers	2 credit points per unit up to a maximum of 6 points since the last promotion.
20.	Significant outreach Institute out activities	l credit point per activity up to a maximum of 4 credit points since the last promotion.
21.	Fellow IEEE, FNA, FNAE, FNASc	10 credit points
22.	Placement percentage (only for the placement ce	Il officers or Faculty incharge of Placement) .
	Above 85%	4 credit points per year upto a maximum of 20 points since the last promotion.
	75% - 84% (% to be based on total number of students passing out and single job offer)	2 credit points per year upto a maximum of 10 points since the last promotion.

[F. No. 33-10/2014-TS. III]

R. SUBRAHMANYAM, Addl. Secy.

Note: The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 293(E), dated the 24th March, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.25 22:42:48 + 05'30'